स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम

प्रलिम्सि के लयि:

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम, मुद्रा।

मेन्स के लयि:

ग्रामीण वकिास, स्वयं सहायता समूहों, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों में एसवीईपी का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कौशल वकिास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संगठन राष्ट्रीय उद्यमति एवं लघु व्यवसाय वकिास संस्थान (National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development- NIESBUD) द्वारा स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (Start-up Village Entrepreneurship Programme- SVEP) पहल के ज़रयि ज़मीनी स्तर पर उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने हेतु एक सतत् स्वरूप वकिसति करने के उद्देश्य से ग्रामीण वकिास मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कयि गए हैं।

प्रमुख बदुि

साझेदारी का महत्त्व:

- इस साझेदारी के तहत ग्रामीण उद्यमयिों को अपने कारोबार शुरू करने के संबंध में वत्तिीय समर्थन प्राप्त करने के लयि बैंकगि प्रणाली तक पहुँच प्राप्त हो सकेगी। इसमें मुद्रा बैंक का समर्थन भी शामलि है।
- एकीकृत आईसीटी तकनीकों और उपकरणों से क्षमता नरि्माण एवं प्रशक्षिण मलिेगा। इसके तहत देश के गाँवों में उद्यमशीलता इको-ससि्टम को बढ़ाने हेतु उपक्रम सलाहकार सेवाएँ भी प्रदान की जाएंगी।
- परयिोजना के लाभार्थयिों में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवकिा मशिन (DAY-NRLM) से संबंधति स्वसहायता समूह शामलि हैं। योजना न सरि्फ मौजूदा उद्यमों बल्कनिए उद्यमों की भी सहायता करती है।
- यह साझेदारी ग्रामीण समुदाय को उनके व्यापार को स्थापति करने में मदद करेगी और उनके स्थरि होने तक पूरण सहायता प्रदान करेगी।
- इस सटीक अंतःक्षेप से जन सामान्य को जानकारी, सलाह और वत्तिीय समर्थन मलिेगा तथा गाँवों में समुदाय स्तर पर संगठति लोगों का दल बनाने में मदद मलिेगी।

SVEP से संबंधति प्रमुख बदुि:

- **SVEP के बारे में:**
  - SVEP, ग्रामीण वकिास मंत्रालय के तहत वर्ष 2016 से संचालति दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवकिा मशिन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission- DAY-NRLM) का उप-घटक है।
- **उद्देश्य:**
  - गरीबी से बाहर आने के लयि ग्रामीण गरीबों का समर्थन करना।
  - व्यवसाय प्रबंधन और सॉफ्ट स्कलि्स में वत्तिीय सहायता एवं प्रशक्षिण के साथ स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना।
  - उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय सामुदायकि संवर्ग नरि्मति करना।
- **वशिेषताएँ:**
  - यह ग्रामीण स्टार्ट-अप के तीन प्रमुख स्तंभों अर्थात् वत्ति, इन्क्यूबेशन और कौशल पारस्थितिकिी तंत्र को संबोधति करता है।
  - यह मुख्य रूप से वनिरि्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में व्यक्तगित एवं समूह दोनों प्रकार के उद्यमों को बढ़ावा देता है।
  - यह स्थानीय मांग और पारस्थितिकिी तंत्र के आधार पर व्यवसायों को लाभप्रद रूप में चलाने के लयि उद्यमयिों की क्षमता के नरि्माण पर नविश करता है।
  - व्यापार योजना और लाभ व हानि खाते की तैयारी जैसे तकनीकी पहलुओं के प्रसार में होने वाले नुकसानको कम करने हेतु मानक ई-लर्नगि मॉड्यूल बनाने के लयि सूचना और संचार प्रौद्योगकिी (Information and Communication Technology- ICT) के उपयोग पर भी नविश कयिा जाता है।

- **गतिविधियाँ:** SVEP के तहत गतिविधियाँ कुछ प्रमुख क्षेत्रों के साथ ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक रूप से तैयार की गई हैं।
    - प्रमुख क्षेत्रों में से **सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों-उद्यम संवर्द्धन (Community Resource Persons-Enterprise Promotion**) को विकसित करना है जो स्थानीय और ग्रामीण उद्यमों की स्थापना करने वाले उद्यमियों का समर्थन करते हैं।
    - एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र SVEP ब्लॉकों में **ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (Block Resource Center)** को बढ़ावा देना, सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की निगरानी और प्रबंधन, SVEP ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करना तथा संबंधित ब्लॉक में उद्यम से संबंधित जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करना है।
        - BRCs प्रभावी और स्वतंत्र रूप से संचालन के लिये एक स्थायी राजस्व मॉडल का समर्थन करने में भूमिका निभाते हैं।
    - **SVEP** ने स्थानीय बाजार/ग्रामीण हाट की स्थापना की जिसने उद्यमियों को मांग आधारित उत्पादन, अपने उद्यम का विज्ञापन करने और आय के अवसरों को बढ़ाने के लिये प्रेरित किया है।
        - एक विशिष्ट ग्रामीण हाट ज़्यादातर स्वदेशी, लचीली और बहुस्तरीय संरचना होती है जो विभिन्न प्रकृति की आर्थिक गतिविधियों को समायोजित करती है।
        - स्थानीय बाज़ार/हाट/मार्केट एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक मंच के रूप में कार्य करता है जहाँ उत्पादों की एक शृंखला का कारोबार होता है।
- **उपलब्धियाँ:**
    - **भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India**) द्वारा सितंबर 2019 में आयोजित **SVEP** की मध्यावधि समीक्षा में ब्लॉकों के लगभग 82 प्रतिशत उद्यमियों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से होने की सूचना दी गई है, जो एनआरएलएम के स्तंभों में से एक सामाजिक समावेश को दर्शाता है।
    - 75% उद्यमों का स्वामित्व और प्रबंधन महिलाओं के पास था तथा उद्यमी का मासिक औसत राजस्व 39,000 रुपए था व विनिर्माण के मामले में यह 47,800 रुपए, सेवाओं के मामले में 41,700 रुपए और व्यापार के मामले में 36,000 रुपए था।
    - अध्ययन से यह भी पता चलता है कि उद्यमियों की कुल घरेलू आय का लगभग 57% हिस्सा SVEP उद्यमों के माध्यम से प्राप्त होता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण गरीबों की आजीविका के विकल्पों में कैसे सुधार करता है ? (2012)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और कृषि व्यवसाय केंद्र तथा बड़ी संख्या में नए विनिर्माण स्थापित करके।
2. 'स्वयं सहायता समूहों' को मज़बूती तथा कौशल विकास प्रदान करके।
3. बीज, उर्वरक, डीज़ल पंप-सेट की आपूर्ति करके और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई उपकरण निःशुल्क प्रदान करके।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1और 2
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीयों द्वारा चुनिंदा अमेरिकी शेयरों में व्यापार

प्रिलिम्स के लिये:

एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (NSE IFSC), इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ अथॉरिटी (आईएफएससीए), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी, लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम, भारतीय रिज़र्व बैंक।

मेन्स के लिये:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसके लाभ, संसाधन जुटाना, महत्त्वपूर्ण संस्थान, पूंजी बाज़ार।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में निवेशकों को **एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (NSE International Exchange- NSE IFSC)** के माध्यम से चुनिंदा अमेरिकी शेयरों में व्यापार करने की अनुमति दी गई है।

- वर्तमान में **भारतीय निवेशक नामित ऑनलाइन मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिकी स्टॉक खरीदते हैं,** जिनके पास ऐसी सेवाओं की पेशकश करने के लिये भारतीय और अमेरिकी नियामकों से अनुमति होती है।

प्रमुख बिंदु

- इसका मतलब है कि घरेलू निवेशक **अमेज़न, अल्फाबेट, टेस्ला** आदि जैसे अमेरिकी शेयरों को खरीद सकते हैं।
    - एक स्टॉक (जिसे इक्विटी के रूप में भी जाना जाता है) एक सुरक्षा है जो निगम के एक अंश के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है।
- हालाँकि पेशकश अप्रायोजित डिपॉज़िटरी रसीदों के रूप में होगी।
    - उदाहरण के लिये टेस्ला का **एक हिस्सा 100 एनएसई आईएफएससी प्राप्तियों (NSE IFSC Receipts**) के बराबर होगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण (IFSCA)** ने पहले ही योजना को मंज़ूरी दे दी है।

विगत वर्षों के प्रश्न

हाल ही में भारतीय समाचारों में चर्चा में रहा एमसीएक्स-एसएक्स क्या है? (2009)

(a) एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर
(b) चंद्रमा प्रभाव जाँच का शीर्षक
(c) शेयर बाज़ार
(d) परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी

उत्तर: (c)

विनिमय:

- NSE IFSC (NSE International Exchange) 29 नवंबर, 2016 को निगमित **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE)** की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट) शहर** में कार्यरत स्टॉक एक्सचेंजों को भारतीय रुपए के अलावा किसी भी मुद्रा में प्रतिभूतियों में व्यापार की पेशकश करने की अनुमति है।
- तदनुसार **एनएसई आईएफएससी** जिसने 5 जून, 2017 को व्यापार शुरू किया, विभिन्न उत्पादों में अमेरिकी डॉलर में व्यापार की पेशकश करता है।
- **एनएसई आईएफएससी** इंडेक्स डेरिवेटिव्स, स्टॉक डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और डेट सिक्योरिटीज़ सहित विभिन्न उत्पादों में व्यापार की पेशकश करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010)

भारत में स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर्स मार्केट में लेन-देन पर कर है:

1. संघ द्वारा लगाया गया
2. राज्यों द्वारा एकत्रित

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

एनएसई आईएफएससी रसीद:

- यह एक गैर-प्रायोजित **'डिपॉजिटरी रसीद'** की प्रकृति में एक परक्राम्य वित्तीय साधन है जिसका अर्थ है कि यह एक व्युत्पन्न उत्पाद है जिसके अंतर्गत निवेशक पंजीकृत ऑनलाइन मध्यस्थों के बिना सीधे शेयरों का व्यापार कर सकते हैं।

- जैसे शेयर घरेलू स्तर पर खरीदे जाते हैं, वैसे ही शेयरों को **अमेरिका में खरीदा** जा सकता है और उनके एवज में रसीदें जारी की जा सकती हैं जिन्हें **एनएसई आईएफएससी रसीद** के रूप में जाना जाएगा।

लाभ:

- **एनएसई आईएफएससी** द्वारा पेश किया गया **बिज़नेस मॉडल न केवल भारतीय निवेशकों को अतिरिक्त निवेश का अवसर प्रदान** करेगा बल्कि निवेश की पूरी प्रक्रिया को आसान और कम लागत पर बनाए रखेगा।
- जब अमेरिकी बाज़ारों में अंतर्निहित शेयरों की तुलना की जाती है, तो निवेशक भिन्नात्मक मात्रा मूल्य (**Fractional Quantity Value)** में व्यापार करने में सक्षम होंगे।
- **निवेशक डिपॉज़िटरी रसीदों को अपने गिफ्ट सिटी डीमैट खातों में रखने में सक्षम होंगे और अंतर्निहित स्टॉक पर कॉर्पोरेट** कार्रवाई लाभ के पात्र होंगे।
  - **एक डीमैट खाता या डीमैटेरियलाइज़्ड खाता (Dematerialised Account)** इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयरों और प्रतिभूतियों को रखने की सुविधा प्रदान करता है।
  - **कॉर्पोरेट कार्रवाई** एक कंपनी द्वारा अपने निवेशकों को दिये गए लाभ हैं। ये या तो मौद्रिक लाभ जैसे- लाभांश, ब्याज या गैर-मौद्रिक लाभ जैसे- बोनस, अधिकार आदि हो सकते हैं।

निवेशक:

- भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, **अनिवासी भारतीय** और भारत में निवास करने वाले व्यक्ति जो **भारतीय रिज़र्व बैंक** की **उदारीकृत प्रेषण योजना** (LSR) में अनुमत सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा निवेश करने के लिये पात्र है।
  - भारत में फेमा की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना था।
  - LRS ढाँचे के तहत आरबीआई किसी भी चालू या पूंजी खाते के लेन-देन हेतु निवासी व्यक्तियों को प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक प्रेषण करने की अनुमति प्रदान करता है।
- हालाँकि अमेरिका और कनाडा के निवासियों को इस उपकरण के माध्यम से निवेश करने की अनुमति नहीं है।

एक निवेशक के लिये संभावित जोखिम:

- एनएसई आईएफएससी प्राप्तियों (NSE IFSC Receipts) में निवेश करने पर जोखिम होता है। कुछ प्रमुख जोखिम इस प्रकार हैं:
  - सामान्य मूल्य और अस्थिरता जोखिम, तरलता का जोखिम, अंतर्निहित शेयर जोखिम, एनएसई आईएफएससी रसीद को रद्द करने तथा समाप्त करने का जोखिम, कर जोखिम, अन्य जोखिम जैसे- अप्रत्याशित घटना, कानून में परिवर्तन, निपटान, व्यापार आदि।

विगत वर्षों के प्रश्न

भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. खुदरा निवेशक डीमैट खाते के माध्यम से प्राथमिक बाज़ार में 'ट्रेज़री बिल' और 'भारत सरकार के ऋण बॉण्ड' में निवेश कर सकते हैं।
2. 'निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग' भारतीय रिज़र्व बैंक का एक सरकारी प्रतिभूति व्यापार मंच है।
3. 'सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड' को भारतीय रिज़र्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) केवल 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सुपरकंप्यूटर परम गंगा

प्रीलिम्स के लिये:

परम प्रवेग, सुपरकंप्यूटर, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन)।

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, आईटी और कंप्यूटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ।

चर्चा में क्यों?

आईआईटी रुड़की में **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)** के तहत 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता के साथ परम गंगा नामक एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटेशनल (HPC) सुविधा प्रदान की गई है।

- इससे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बंगलूरू ने सुपर कंप्यूटर 'परम प्रवेग' स्थापित किया था।

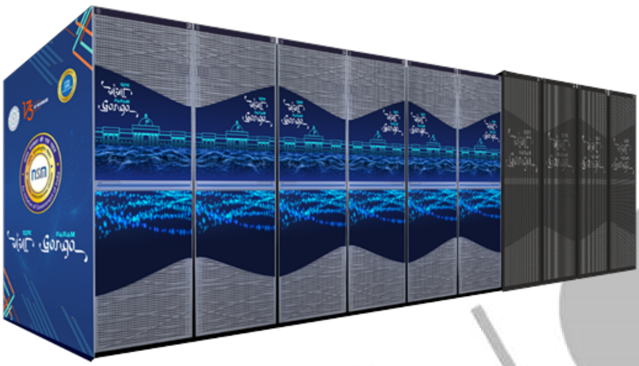

//

प्रमुख बिंदु

- यह NSM के तहत 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग' (सी-डैक) द्वारा स्थापित किया गया है।
- भारत में निर्मित घटकों के साथ एक पेटास्केल सुपरकंप्यूटर बनाने के पीछे मूल विचार आत्मनिर्भर भारत की ओर मार्ग का नेतृत्व करना और बहु-विषयक डोमेन में समस्या-समाधान क्षमता को एक साथ तेज़ करना है।
- यह शोधकर्त्ताओं को राष्ट्रीय और वैश्विक महत्त्व की जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।
- यह सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य के साथ-साथ आधुनिक शोध के लिये एक आवश्यक कंप्यूटर के रूप में कार्य करेगा।
- आईआईटी रुड़की और अन्य नज़दीकी शैक्षणिक संस्थानों के उपयोगकर्त्ता समुदाय को कंप्यूटेशनल शक्ति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सुपरकंप्यूटर:

- सुपरकंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वर्तमान में कंप्यूटर की उच्चतम परिचालन दर पर या उसके निकट प्रदर्शन करता है।
- आमतौर पर पेटाफ्लॉप एक सुपरकंप्यूटर की प्रसंस्करण गति का माप है और इसे प्रति सेकंड एक हज़ार ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
    - FLOPS (फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड) का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रदर्शन को मापने के लिये किया जाता है।
    - फ्लोटिंग-पॉइंट एन्कोडिंग का उपयोग करके बहुत लंबी संख्याओं को अपेक्षाकृत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
- सुपरकंप्यूटर मुख्य रूप से उन उद्यमों और संगठनों में उपयोग करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है।
    - **उदाहरण के लिये:** मौसम का पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान, खुफिया जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण, डेटा माइनिंग आदि।
- विश्व स्तर पर चीन के पास सबसे अधिक सुपरकंप्यूटर हैं और दुनिया में शीर्ष स्थान पर कायम है, इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्राँस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का स्थान है।
- **भारत का पहला सुपरकंप्यूटर परम 8000 था।**
- स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपरकंप्यूटर **परम शिवाय** IIT- BHU में स्थापित किया गया है, इसके बाद IIT-खड़गपुर, IISER, पुणे, JNCASR, बंगलूरू और IIT कानपुर में क्रमशः **परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक** को स्थापित किया गया है।
- वर्ष 2020 में **हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (HPC-AI) सुपरकंप्यूटर परम सिद्धि** ने दुनिया के शीर्ष **500 सबसे**

शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर सिस्टम में **62वें स्थान पर वैश्विक रैंकिंग** हासिल की है।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन:

- वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission) को **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN)** के साथ जोड़कर देश में अनुसंधान क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिये लॉन्च किया गया।
  - एनकेएन परियोजना का उद्देश्य एक **मज़बूत और ठोस भारतीय नेटवर्क स्थापित** करना है जो सुरक्षित व विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगी।
- मिशन की 64 से अधिक पेटाफ्लॉप्स (Petaflops) की संचयी परिकलन क्षमता के साथ 24 सुविधाओं (24 Facilities) का निर्माण और उनकी तैनाती करने की योजना है।.
  - अभी तक सी-डैक ने एनएसएम चरण-1 और चरण-2 के तहत 20 से अधिक पेटाफ्लॉप्स की संचयी परिकलन क्षमता के साथ सी-डैक में 11 प्रणालियाँ तैनात कर दी गई हैं।
- यह सरकार के **'डिजिटल इंडिया'** और **'मेक इन इंडिया'** पहल पर केंद्रित है।
- मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
  - इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और आईआईएससी, बंगलूरू द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- मिशन को तीन चरणों में क्रियान्वयित करने की योजना है जो निम्नलिखित है:
  - चरण I सुपर कंप्यूटरों को असेंबल करना।
  - चरण II देश के भीतर कुछ घटकों के निर्माण पर विचार करना।
  - चरण III इस चरण में सुपर कंप्यूटर को भारत में ही डिज़ाइन किया जाना शामिल है।
- एक पायलट सिस्टम में 'रुद्र' (Rudra) नामक एक स्वदेशी रूप से विकसित सर्वर प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है जिसमें इंटर-नोड संचार हेतु त्रिनेत्र (Trinetra) नामक एक इंटरकनेक्ट भी विकसित किया गया है।

स्रोत: पी.आई.बी.

नाबालिगों की संरक्षकता

प्रिलिम्स के लिये:

नाबालिगों की संरक्षकता, जनहित याचिका, स्थायी खाता संख्या, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 14, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम, भारत का विधि आयोग।

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, बच्चों से संबंधित मुद्दे, नाबालिगों की संरक्षकता और संबंधित कानून।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय में एक **जनहित याचिका (PIL)** द्वारा मांग की गई कि सभी दस्तावेज़ो में पिता के साथ माता के नाम का भी उल्लेख होना चाहिये।

- हाल के दिनों में **पासपोर्ट और स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड** के नियमों में बदलाव किये गए हैं, जो एक आवेदक को अपनी माता का नाम प्रस्तुत करने की अनुमति देता है यदि वह सिंगल पैरेंट (Single Parent) है।
- लेकिन जब बात स्कूल सर्टिफिकेट और अभिभावक के रूप में पिता के नाम पर ज़ोर देने वाले कई अन्य दस्तावेज़ो की आती है तो यह एक परेशान करने वाला मुद्दा बना रहता है।
- **पैन (PAN)** देश में विभिन्न करदाताओं की पहचान करने का एक साधन है।

सिंगल पैरेंट वाले लोगों को पासपोर्ट और पैन कार्ड जारी करने संबंधी नियम

- **पासपोर्ट:** दिसंबर, 2016 में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के अपने नियमों को उदार बनाने से संबंधित कई कदम उठाए।
  - तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के बाद कुछ बदलाव किये गए थे, जिसमें **विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** शामिल थे, जिन्होंने तलाक के बाद या गोद लेने के मामले में बच्चों के लिये पासपोर्ट से संबंधित विभिन्न चिंताओं की जाँच की थी।

    - परविर्तनों के बाद **आवेदक पति और माता दोनों का ववरिण प्रदान करने के बजाय माता-पिता में से कसिी एक का नाम प्रदान** कर सकते हैं।
    - नए पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में आवेदक को तलाकशुदा होने पर अपना या अपने पत या पत्नी का नाम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है और न ही तलाक की डकि्री प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **PAN (पैन):** नवंबर 2018 में [केंद्रीय प्रतयकष कर बोरड](#) ने आयकर नयिम, 1962 में संशोधन कयिा, ताक माता के सगिल पैरेंट (Single Parent) होने पर पिता का नाम अनवािर्य न हो।
    - नया पैन आवेदन फॉर्म में पिता के साथ माता के नाम की भी ज़रूरत होती है।
    - यह आवेदक की इच्छा पर नरि्भर है कि उसे पैन कार्ड पर अपने पिता और माता में से कसिका का नाम चाहिये।

देश में संरक्षकता कानून:

- **हनि्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधनियिम:**
    - भारतीय कानून नाबालगि (18 वर्ष से कम आयु) की संरक्षकता के मामले में पिता को वरीयता प्रदान करते हैं।
    - हदिुओं के धार्मकि कानून या हदिू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधनियिम, (HMGA) 1956 के तहत नाबालगि या संपत्त कि संबंध में एक हदिू नाबालगि का प्राकृतकि अभभािवक "पिता होता है तथा उसके बाद माता का अधकिार है।
        - बशर्ते कि एक नाबालगि की कस्टडी जसिकी पाँच वर्ष की उम्र पूरी नहीं हुई है, सामान्यत मां के पास होगी।
- **मुस्लमि पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधनियिम, 1937**:
    - मुस्लमि पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधनियिम [The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937] के अनुसार, संरक्षकता के मामले में शरीयत या धार्मकि कानून लागू होगा, जसिके अनुसार जब तक बेटा सात साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता है और बेटी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक पिता प्राकृतकि अभभािवक है, हालाँक पिता को सामान्य पर्यवेक्षण और नयिंत्रण का अधकिार प्राप्त है।
    - मुस्लमि कानून में अभरिक्षा या 'हजिानत' (Hizanat) की अवधारणा में कहा गया है कि बिच्चे का कल्याण सर्वोपर हि।
    - यही कारण है कि मुस्लमि कानून बाल्यावस्था (Tender Years) में बच्चों की कस्टडी के मामले में पिता के स्थान पर माता को वरीयता प्रदान करता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का नरि्णय:**
    - वर्ष 1999 में गीता हरहिरन बनाम [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) मामले में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के ऐतहिासकि फैसले ने आंशकि राहत प्रदान की।
    - इस केस में HMGA को भारत के संवधिान के अनुच्छेद 14 के तहत लैंगकि समानता की गारंटी के उल्लंघन के लयि चुनौती दी गई थी।
        - अनुच्छेद 14 के अनुसार, कसिी भी व्यक्त कि भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचति नहीं कयिा जाएगा।
    - न्यायालय ने माना क ि"बाद" शब्द का अर्थ "पिता के जीवनकाल के बाद" (After The Lifetime Of The Father) नहीं होना चाहयि, बल्क ि"पिता की अनुपस्थति मिें" (Absence Of The Father) होना चाहयि।
    - लेकनि यह नरि्णय माता-पिता दोनों को समान अभभािवक के रूप में मान्यता देने में वफिल रहा, जसिने पिता की भूमकिा के लयि एक माँ की भूमकिा को अधीन कर दयिा।
    - हालाँक यिह फैसला अदालतों के लयि एक मसिाल कायम करता है, लेकनि इससे HMGA में कोई संशोधन नहीं हुआ है।
- **भारतीय वधि आयोग :**
    - भारतीय वधि आयोग ने मई 2015 में "भारत में संरक्षकता और अभरिक्षा कानूनों में सुधार" पर अपनी 257वीं रपिोर्ट में सफिारशि की थी क:ि
        - यह एकल माता-पिता के साथ एकल बाल अभरिक्षा के वचिार से असहमत था।
        - माता और पिता दोनों को एक साथ एक अवयस्क के प्राकृतकि अभभािवक के रूप में माना जाना चाहयि।
        - इसने संयुक्त अभरिक्षा के लयि HMGA और GWA में संशोधन हेतु तथा इस तरह की संरक्षकता, बाल सहायता और मुलाकात व्यवस्था से संबंधति दशिा-नरि्देशों की वसि्तृत सफिारशिें की।

प्रमुख चतिा:

- हालाँक वैिवाहकि ववािद में न्यायालय माँ को बच्चे की कस्टडी प्रदान करने का अधकिार दे सकता हैं परंतु कानून में संरक्षकता मुख्य रूप से पिता के पास है और यह वरिोधाभास इस बात पर प्रकाश डालता है क माता को देखभाल करने वाले के रूप में माना जाता है, लेकनि बच्चों के लयि नरि्णय लेने वालों के रूप में नहीं।

आगे की राह

- वभिनि्न सरकारी वभिागों को यह सुनशि्चति करने के लयि अपने नयिमों में सक्रयि रूप से संशोधन करना चाहयि क वि गीता हरहिरन फैसले के अनुरूप हैं क्योंक कानूनों में संशोधन एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो सकता है।
- जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक लोगों को राहत के लयि अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है।

वगित वर्षों के प्रश्न

एक कानून जो कार्यपालकि या प्रशासनकि प्राधकिरण को कसिी मामले में अनरि्देशति और अनयिंत्रति ववकािधीन शक्त प्रदान करता है, नम्निलखिति में से भारत के संवधिान के कसि अनुच्छेद का उल्लंघन करता है?

(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 28
(c) अनुच्छेद 32
(d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

स्रोत: द हिंदू

चंद्रमा पर आर्गन-40 का वितिरण

प्रिलिम्स के लिये:

चंद्रमा की वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर-2 (CHACE-2), चंद्रयान- 1 और 2, नोबल गैसें आर्गन-40, आवर्त सारणी।

मेन्स के लिये:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चंद्रयान-2 के संदर्भ में भारतीयों की उपलब्धियाँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **चंद्रयान-2** पर स्थित स्पेक्ट्रोमीटर 'चंद्राज़ एटमॉस्फेरिक कम्पोज़िशन एक्सप्लोरर-2' (Chandra's Atmospheric Composition Explorer- CHACE-2) द्वारा नोबल गैसों में से एक आर्गन-40 के वितिरण से संबंधित पहली खोज की गई है।

- भारत द्वारा जुलाई 2019 में चंद्रयान-2, (चंद्र अन्वेषण मिशन) को चंद्रयान-1 के बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- **चंद्रयान-2 के बारे में:**
- यह लगभग 3,877 किलोग्राम का एक एकीकृत 3-इन-1 अंतरिक्षयान है, जिसमें चंद्रमा का एक ऑर्बिटर 'विक्रम' (विक्रम साराभाई के नाम से प्रेरित), लैंडर और प्रज्ञान (Wsdon) नामक रोवर शामिल है, साथ ही इसके तीनों घटकों को चंद्रमा का अध्ययन करने के लिये वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।
- इसमें एक ऑर्बिटर, जिसके लैंडर का नाम विक्रम था तथा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने के लिये प्रज्ञान नामक रोवर शामिल था।
- **लैंडर की विफलता:** विक्रम लैंडर इसरो द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप ही उतर रहा था और सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह से 2.1 किमी. की ऊँचाई तक इसके सामान्य प्रदर्शन को देखा गया था।
    - यदि एक सफल सॉफ्ट-लैंडिंग हो जाती तो भारत, तत्कालीन सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाता।
- **ऑर्बिटर:** यह सतह के उच्च-रिज़ॉल्यूशन त्रि-आयामी मानचित्र बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के कैमरों से लैस है।
    - यह चंद्रमा और इसके वातावरण पर खनिज संरचना का अध्ययन करेगा और पानी की प्रचुरता का आकलन भी करेगा।
- **उद्देश्य:** चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति से जुड़े प्रमाण पर शोध को आगे बढ़ाना और चंद्रमा पर पानी की सीमा तथा वितिरण का अध्ययन करना, चंद्रमा की स्थलाकृति, भूकंप विज्ञान, सतह और वातावरण की संरचना का अध्ययन करना।

प्रमुख निष्कर्ष:

- माना जाता है कि चंद्र बाह्यमंडल में पाई जाने वाली गैस चंद्र सतह से उत्सर्जित है।
- CHACE-2 के अवलोकन से पता चलता है कि आर्गन-40 के वितिरण में महत्त्वपूर्ण स्थानिक विविधता है।
- दक्षिणी ध्रुव ऐटकेन भूभाग पर (KREEP) अर्थात् पोटेशियम (K), दुर्लभ-मृदा तत्त्व और फास्फोरस (P) सहित कई क्षेत्रों में स्थानीयकृत संवर्द्धन (आर्गन उभार के रूप में) विद्यमान है।

चंद्र बहिर्मंडल:

- 'बहरि्मंडल' एक आकाशीय पिंड के ऊपरी वायुमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र है जहाँ परमाणु और अणु शायद ही कभी एक-दूसरे से टकराते हैं और अंतरिक्ष में गति कर सकते हैं।
- पृथ्वी के चंद्रमा में एक सतह सीमा बहरि्मंडल है। चंद्रमा के बहरि्मंडल में विभिन्न घटकों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सतह से पोषित किया जाता है, जैसे:
  - **थर्मल डिसॉर्प्शन (Thermal Desorption):** उष्मीय निकास (Thermal Escape) जिसे जीन्स एस्केप भी कहा जाता है, द्वारा बहरि्मंडलीय परमाणु अंतरिक्ष में खो सकते हैं।
  - **फोटो-स्टीमुलेटेड डिसॉर्प्शन** (**Photo-Stimulated Desorption**): परमाणु फोटो-आयनीकरण द्वारा आयनित होकर सौर पवन आयनों के साथ आवेशों का स्थानांतरण करते हैं।
  - **सोलर विंड स्पटरिंग (Solar wind Sputtering):** सौर पवन के संवहन विद्युत क्षेत्र द्वारा परमाणुओं को प्रवाहित किया जा सकता है।
  - सूक्ष्म उल्कापिंड प्रभाव वाष्पीकरण (**Micrometeorite Impact Vaporization**): सूक्ष्म उल्कापिंड का प्रभाव आमतौर पर पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होता है जिससे प्रभावकारी कण का वाष्पीकरण होता है, साथ ही प्रभावकारी कण की तुलना में एक क्रेटर उत्पन्न होता है।
    - एक सूक्ष्म उल्कापिंड एक कक्षीय मलबा है जो रेत के एक दाने से भी छोटा होता है।
- इस प्रकार चंद्र बहरि्मंडल कई स्रोत और सिंक प्रक्रियाओं के बीच एक गतिशील संतुलन के परिणामस्वरूप मौजूद है।

डिस्कवरी का महत्त्व:

- नोबल गैसें सरफेस-एक्सोस्फीयर इंटरैक्शन की प्रक्रियाओं को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण ट्रेसर के रूप में कार्य करती हैं तथा**आर्गन-40 (Ar-40)** चंद्र बहरि्मंडलीय प्रजातियों की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण ट्रेसर परमाणु है।
- यह चंद्रमा की सतह या लूनार सरफेस के पहले कुछ दस मीटर नीचे रेडियोजनिक गतिविधियों को समझने में भी मदद करेगा।
  - Ar-40 चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पोटेशियम-40 (K-40) के रेडियोधर्मी विघटन से उत्पन्न होता है।
  - एक बार बनने के बाद यह इंटर ग्रैनुलर स्पेस (**Inter-granular Space)** के माध्यम से फैलता तथा स्राव व दोषों के माध्यम से चंद्र वहरि्मंडल तक अपना रास्ता बनाता है।
- CHACE-2 चंद्रमा के भूमध्यरेखीय और मध्य अक्षांश क्षेत्रों को कवर करते हुए Ar-40 की दैनिक और स्थानिक भिन्नता प्रदान करते हैं।
  - **चंद्रयान-2 मिशन के परिणाम** की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है, हालाँकि**अपोलो -17 (1972) और लूनार एटमॉस्फियर एंड डस्ट एन्वायरनमेंट एक्सप्लोरर (LADEE मिशन 2014)** ने चंद्र बहरि्मंडल में Ar-40 की उपस्थिति का पता लगाया है तथा यह माप चंद्रमा के निकट-भूमध्यरेखीय क्षेत्र तक ही सीमित है।
- **CHACE-2 द्वारा आर्गन उभार का अवलोकन अज्ञात या अतिरिक्त हानि प्रक्रियाओं के संकेत हैं।**

नोबल/उत्कृष्ट गैसें:

- नोबल गैस सात रासायनिक तत्त्वों का एक समूह है जिसे **आवर्त सारणी** के समूह 18 (VIIIa) में रखा गया है।
- **तत्त्व हीलियम (He), नियॉन (Ne), आर्गन (Ar), क्रिप्टन (Kr), ज़ेनॉन (Xe), रेडॉन (Rn) और ओगनेसन (Og) हैं।**
- उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ज्वलनशील होती हैं।
  - हालाँकि हाल के अध्ययनों ने **ज़ेनॉन**, **क्रिप्टन और रेडॉन** के प्रतिक्रियाशील यौगिकों को प्रदर्शित किया है।
- जैसे-जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, नोबल गैसों की प्रचुरता कम होती जाती है।
- हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में **हीलियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्त्व** है।

निम्नलिखित में से कौन-सा/से युग्म सही है/हैं? (2014)

अंतरिक्षयान **उद्देश्य**

1. कैसिनी-ह्यूजेंस - शुक्र की परिक्रमा करना और डेटा को पृथ्वी तक पहुँचाना
2. मैसेंजर - बुध का मानचित्रण और अन्वेषण
3. वोयाजर 1 और 2 - बाहरी सौरमंडल की खोज

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोत: द हिंदू

ई-बिल प्रणाली

प्रिलिम्स के लिये:

ई-बिल प्रणाली, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम।

मेन्स के लिये:

ई-गवर्नेंस, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 46वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर 'ई-बिल प्रणाली' का शुभारंभ किया।

- भारत में वित्तीय समावेशन अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु केंद्रीय बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई थी।
- 1 मार्च, 1976 को भारतीय सिविल लेखा सेवा (ICAS) की स्थापना की वर्षगाँठ को चिह्नित करने के लिये हर वर्ष **"नागरिक लेखा दिवस"** मनाया जाता है।
  - भारतीय सिविल लेखा सेवा भारत सरकार (जीओआई) के लिये वित्तीय प्रबंधन सेवाओं के वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - ई-बिल प्रणाली व्यापक पारदर्शिता और भुगतान की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी) व डिजिटल इंडिया इको-सिस्टम का हिस्सा है।
  - सरल शब्दों में ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम कागज़ के पारंपरिक उपयोग के बजाय बिलों के डिजिटल रूप से लेन-देन करने का एक तरीका है।
    - वर्तमान में सरकार को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्त्ताओं को अपने बिलों की भौतिक, स्याही से हस्ताक्षरित प्रतियाँ भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में जमा करनी होती हैं।
  - इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिलिंग किये जाने पर ग्राहक अपने बिल ऑनलाइन, ई-मेल के माध्यम से या मशीन-पठनीय डेटा फॉर्म में प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
  - शुरू की गई नई ई-बिल प्रणाली के तहत **विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता किसी भी समय डिजिटल हस्ताक्षर** के माध्यम से अपने घरों/कार्यालयों पर सुविधापूर्वक सहायक दस्तावेज़ों के साथ अपने बिल ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
  - प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक बिल को अधिकारियों द्वारा हर चरण में डिजिटल रूप से संसाधित किया जाएगा और अंत में भुगतान को विक्रेता के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा।
- **विकास:**
  - वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है।

ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम के प्रमुख उद्देश्य

- सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं को किसी भी समय कहीं से भी अपने बिल/दावे जमा करने की सुविधा प्रदान करना।
- आपूर्तिकर्त्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच भौतिकीय इंटरफेस को हटाना।
- बिलों/दावों के प्रसंस्करण में दक्षता बढ़ाना।
- **"फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट" (First-In-First-Out"-FIFO)** पद्धति के माध्यम से बिलों के प्रसंस्करण को कम करना।

ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम का महत्त्व:

- **पारदर्शिता बढ़ाना:**
  - यह आपूर्तिकर्त्ताओं और ठेकेदारों को अपना दावा ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देकर**पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस-पेपरलेस भुगतान प्रणाली** को बढ़ाएगा, जिसे वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जा सकेगा।
- **वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक करने योग्य:**
  - वित्त मंत्रालय के अनुसार, आपूर्तिकर्त्ता और ठेकेदार अपना दावा ऑनलाइन जमा नहीं कर पाएंगे यह वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक

करने योग्य होगा।

- **प्रभावी समय:**
    - चूँकि ई-बिलिंग का तरीका समय-कुशल, त्वरित और सरल होगा जो भारत को डिजिटल बनाने हेतु सरकार के लिये बेहतर होगा तथा ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम से त्रुटियाँ भी कम होंगी।

PFMS के बारे में:

- PFMS, जिसे पहले सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम (Central Plan Schemes Monitoring System- CPSMS) के नाम से जाना जाता था, एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक (Controller General of Accounts-CGA) के कार्यालय द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है।
- PFMS को शुरू में वर्ष 2009 के दौरान योजना आयोग की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी धनराशि को ट्रैक करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग करना था।
- PFMS का प्राथमिक उद्देश्य एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ भुगतान सह लेखा नेटवर्क स्थापित करके भारत सरकार (Government of India- GoI) के लिये एक ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है।

विगत वर्षों के प्रश्न

विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की हालिया नीतिगत पहल क्या है/हैं?

1. राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना।
2. 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' का लाभ प्रदान करना।
3. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/09-03-2022/print